

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 1501/2013/बांसवाड़ा.

मैसर्स एम.ई.सी. बिल्डर्स,  
138, इण्डस्ट्रियल एरिया रोड, बांसवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम  
वाणिज्यिक कर अधिकारी, बांसवाड़ा.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,

उप-राजकीय अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/06/2017

निर्णय


1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 30/वैट/12-13/बांसवाड़ा में पारित किये गये आदेश दिनांक 16.05.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बांसवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 के लिये राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे 'वैट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 25, 26, 55, 61(1) व 64 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 13.07.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी के वित्तीय वर्ष 2008-09 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 10.11.2010 को पारित किया गया था। उस समय कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष किसी तरह के विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं होने से शून्य विक्रय मानते हुए कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था, परन्तु यह उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 10.11.2010 को आदेश पारित करने से पूर्व व्यवहारी को नोटिस जारी कर रिटर्न पेश करने के लिये सूचित किया गया था परन्तु व्यवहारी द्वारा कोई सहयोग नहीं करने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी तरह के विवरण उपलब्ध नहीं होने से शून्य खरीद बिक्री मानते हुए कर निर्धारण आदेश पारित किया गया।



लगातार.....2

3. वर्ष 2010 में कर निर्धारण शून्य मांग पर हो चुका था परन्तु दिनांक 14.9.2010 को वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त-ए, कोटा द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर योग्य माल की बिक्री करने एवं उस पर रुपये 97,634/- का कर वसूल करने के सम्बन्ध में सत्यापन करवाने हेतु पत्र प्राप्त होने पर इस अपीलार्थी व्यवहारी के कर निर्धारण अधिकारी को यह जानकारी हुई कि उक्त व्यवसायी द्वारा कर योग्य माल का कारोबार किया गया है ऐसी स्थिति में वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत व्यवहारी को पुनः कर निर्धारण हेतु नोटिस जारी किया गया। साथ ही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा इस अवधि के दौरान मैसर्स शिव फर्नीचर मार्ट, बांसवाड़ा से कर योग्य माल फर्नीचर की खरीद किया जाना भी कर निर्धारण अधिकारी के परिज्ञान में आया जबकि अपीलार्थी द्वारा कोई क्रय-विक्रय घोषित नहीं किया गया था तथा व्यवसायी द्वारा वर्ष 2009-10 में अन्तिम स्टॉक शून्य एवं विक्रय शून्य दर्शाकर व्यापार खाता पेश किया था एवं व्यवसाय बंद करने का प्रार्थना-पत्र भी पेश किया था। इन तथ्यों के अधीन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा शिव फर्नीचर मार्ट बांसवाड़ा से अपीलार्थी व्यवहारी की खरीद सम्बन्धी बिलों की प्रतियां प्राप्त की गई एवं व्यवसायी को सुनवाई का अवसर देते हुए नोटिस जारी किया गया। इन तथ्यों के आलोक में यह पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2008-09 में किये गये विक्रय संव्यवहारों को विभाग के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया एवं जानबूझकर करापवंचन किया गया है अतः करापवंचन के मामले में पत्रावली में निर्णय किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को वेट अधिनियम की धारा 37(4) के तहत प्रेषित किया गया जिनके द्वारा नोटिस जारी किये जाने पर दिनांक 13.07.2012 को फर्म के मालिक श्री विजेन्द्र कुमार मंगल मय अधिकृत प्रतिनिधि श्री अशोक शर्मा के उपस्थित होकर समस्त विक्रय बिल खरीद बिल प्रस्तुत किये तथा आवश्यक रिटर्न कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किये एवं एक शपथपत्र भी प्रस्तुत किया जिसमें यह बताया गया कि वर्ष 2008-09 में व्यवसाय प्रारम्भ करने के बाद वे बाद में अपने गांव जो उत्तरप्रदेश में स्थित है वहां चले गये अतः वकील से सम्पर्क नहीं कर पाये। उक्त समस्त दस्तावेजों की प्राप्ति पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 13.7.2012 को विस्तृत आदेश पारित किया गया जिसमें व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत ट्रेडिंग अकाउण्ट में घोषित बिक्री अनुसार कुल रुपये 30,70,488/- का टर्नओवर स्वीकार कर कर गणना की गयी एवं ब्याज भी आरोपित किया गया साथ ही व्यवसायी द्वारा उक्त अवधि में अपने संव्यवहारों को पूरी तरह छिपाते हुए एवं त्रैमासिक/वार्षिक बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं बिक्री छिपाने के आरोप में वेट अधिनियम की धारा 61(1) के तहत



लगातार.....3

कर राशि की दुगुनी राशि भी आरोपित की गयी। उक्त कर निर्धारण आदेश दिनांक 13.7.2012 के विरुद्ध अपील की जाने पर अपीलीय अधिकारी के उक्त अपीलाधीन आदेश में यह निर्णय किया गया कि व्यवसायी द्वारा अपनी खरीद व बिक्री छिपाते हुए करापवंचन किया गया है अतः आरोपित शास्ति को कायम रखा गया एवं अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण के समय प्रस्तुत वेट-07 में क्लेम किये गये आई.टी.सी. को भी अस्वीकार किया गया।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने यह कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी बीमार होने एवं अपने गांव उत्तरप्रदेश चले जाने की वजह से तथा उनके वकील से सम्पर्क नहीं होने से उनके द्वारा रिटर्न प्रस्तुत नहीं किये गये थे एवं बाद में दिनांक 13.7.2012 को समस्त विवरण प्रपत्र प्रस्तुत कर दिये गये थे अतः अपीलार्थी के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त करने का अनुरोध किया है एवं यह भी अनुरोध किया है कि चूंकि अपीलार्थी द्वारा समस्त खरीद पंजीकृत व्यवहारियों से की गई थी अतः आई.टी.सी. का क्लेम वेट अधिनियम की धारा 18 सपठित वेट नियम 18 के तहत बहियात के अनुसार दिये जावे एवं उनके द्वारा जो राशि राजकोष में जमा कराई गई थी उसका भी समायोजन दिया जावे।

5. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रमाणित रूप से खरीद एवं विक्रय संब्यवहारों को छिपाया गया था तथा विभाग को केवल किसी खरीदकर्ता व्यवहारी की खरीद की प्रति-सत्यापन पर यह जानकारी में आया कि अपीलार्थी द्वारा भारी मात्रा में विक्रय संब्यवहार किये गये थे परन्तु न तो उसका कोई कर जमा करवाया गया था एवं न ही कोई रिटर्न प्रस्तुत किये गये बल्कि दिनांक 22.12.2011 को खुद व्यवसायी विजेन्द्र कुमार मंगल द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, बांसवाड़ा को नोटिस के जवाब में वर्ष 2009-10 में किसी प्रकार की खरीद बिक्री होना नहीं बताया गया था एवं दिनांक 01.04.2010 से पंजीयन निरस्त करने का भी आवेदन किया था परन्तु उस समय भी कर निर्धारण अधिकारी को यह नहीं बताया गया कि उनके द्वारा वर्ष 2008-09 में विक्रय संब्यवहार किये हुए हैं एवं उसके पूर्व दिये गये नोटिस का भी कोई जवाब समय-सीमा में नहीं दिया गया था। विभाग द्वारा यह भी बहस की गयी कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा पूर्ण जानकारी एवं करापवंचन की मनोदशा के कारण ही पूरे वर्ष में माल का विक्रय किया गया एवं न तो उसका कर जमा करवाया गया एवं न ही उसके रिटर्न प्रस्तुत किये गये। ऐसी स्थिति में करापवंचन किया



लगातार.....4


जाना सिद्ध होने एवं विभाग की जानकारी में आने के पश्चात् नोटिस दिये जाने के बाद विवरण पत्र प्रस्तुत किये गये हैं, अतः करापवंचन किया जाना सिद्ध होने से शास्ति का आरोपण पूर्णतया विधिसम्मत है अतः अपीलीय आदेश में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होना बताया। यह भी कथन किया कि जब अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा किसी भी तरह के विवरण पत्र प्रस्तुत ही नहीं किये गये ऐसी स्थिति में वेट अधिनियम की धारा 18 के अनुसार आई.टी.सी. का क्लेम नहीं दिया जा सकता क्योंकि आई.टी.सी. का क्लेम प्राप्त करने के लिये किसी भी व्यवसायी द्वारा विहित समय अर्थात् त्रैमास पूर्ण होने पर उसका क्लेम किया जाना आवश्यक है।

6. उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक परिप्रेक्ष्य में मनन किया गया एवं रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन पर यह स्पष्ट प्रमाणित है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2008-09 में 30 लाख से भी अधिक माल का क्रय विक्रय किया गया था परन्तु विधिक अनिवार्यता होते हुए भी अपीलार्थी द्वारा उसकी घोषणा विभाग में विवरण पत्रों के जरिये नहीं की गयी एवं उसके आगे के वर्ष 2009-10 का भी नोटिस जारी किया जाने पर दिनांक 22.12.2011 को जवाब पेश किया गया था तब भी वर्ष 2008-09 के बारे में कोई जानकारी व्यवसायी द्वारा विभाग को नहीं दी गयी। यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मैसर्स लार्सन एण्ड ट्यूब्रो फर्म को रुपये 24,41,167/- का कर योग्य माल विक्रय कर रुपये 97,634/- का कर वसूल किया गया था जो राजकोष में जमा नहीं करवाया गया परन्तु उस फर्म द्वारा इसकी आई.टी.सी. का क्लेम लेने का आवेदन करने पर अन्तर्विभागीय जांच में यह उजागर हुआ कि उक्त अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2008-09 में बिल जारी करते हुए कर वसूल कर उसे अपनी जेब में रख लिया गया एवं न तो उसे राजकोष में जमा करवाया गया एवं न ही विवरण पत्र देकर किसी भी तरह की घोषणा विभाग के समक्ष की गयी। इस तरह करापवंचन का यह मामला पूरी तरह प्रमाणित है एवं अपीलार्थी की करापवंचन की मनोदशा को भी सिद्ध करता है अतः ऐसे मामलों में शास्ति का आरोपण निश्चित रूप से अनिवार्य है अन्यथा किसी भी व्यवसायी द्वारा पूरे वर्ष क्रय विक्रय करते हुए कर वसूल कर लिया जावे एवं उसे पूरी तरह से विभाग से छिपा लिया जावे एवं जिन क्रेताओं से कर वसूल किया गया है उसे राजकोष में जमा नहीं कराकर उसे खुर्द-बुर्द किया जावे वह क्षम्य नहीं हो सकता, अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति के आरोपण को विधिसम्मत बताते हुए अपील अस्वीकार करने में कोई विधिक भूल नहीं की है।



लगातार.....5

7. जहां तक आई.टी.सी. का क्लेम दिये जाने के लिये अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अनुरोध किया गया है, उस सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि यदि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिलों से सम्बन्धित कर उनके विक्रेताओं द्वारा राजकोष में जमा कराये जाने के प्रमाण प्रस्तुत किये जाते हैं तो नियम 18 के अनुसार आई.टी.सी. का समायोजन दे दिया जावे तथा यदि कोई राशि स्वयं ने राजकोष में जमा कराई है तो उसका भी समायोजन दिया जावे।
8. फलतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमें आरोपित शास्ति की पुष्टि की जाती है एवं आई.टी.सी. क्लेम को सत्यापन के बाद दिये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।
9. निर्णय सुनाया गया।

  
( के. एल. जैन )  
सदस्य